विजय कुमार चौधरी

माननीय कृषि मंत्री, बिहार

बिहार सरकार

कृषि विभाग

नीतीश कुमार

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

किसानों के लिये सूचना

हरी खाद योजना, 2015 अन्तर्गत ढैंचा बीज वितरण

बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा राज्य में हरी खाद को बढ़ावा देने हेतु हरी खाद योजना, गरमा 2015 कार्यान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत हरी खाद के रूप में उपयोग करने हेतु ढैंचा का बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया जाना है। ढैंचा बीज का मूल्य दर 38.95 रू0 प्रति कि0ग्रा0 है जिसमें विभाग द्वारा 90 प्रतिशत (35.055 अर्थात 35.05 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से) अनुदान दिया जा रहा है। बीज 4 कि0ग्रा0 के पैकेट में उपलब्ध होगा। किसानों को 4 कि0ग्रा0 ढैंचा बीज का पैकेट के लिए 15.60 रू0 एवं 8 कि0ग्रा0 ढैंचा बीज प्राप्त करने के लिए 31.20 रू0 अधिकृत विक्रेता को भुगतान करना होगा।

बीज उपलब्धता– चयनित किसानों को बीज प्रखंड स्तर पर निर्धारित तिथि को आयोजित वितरण कैम्प में प्राप्त होगा।

बीज की मात्रा– एक किसान को न्यूनतम आधा एकड़ के लिए 4 कि0ग्रा0 एवं अधिकतम एक एकड़ के लिए 8 कि0ग्रा0 ढैंचा बीज दिया जायेगा।

ढैंचा बीज वितरण की तिथि– 26 अप्रैल से 15 मई 2015

हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की संरचना अक्षुण्ण रहती है। हरी खाद से 16 पोषक तत्व, हार्मोन तथा विटामिन की मात्रा मिट्टी को प्राप्त होती है, साथ ही खरपतवार कम होते हैं। बोआई के 45–50 दिनों बाद ढैंचा फसल को मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी में दबा दिया जाता है। वर्षा होने से या सिंचाई कर देने से यह मिट्टी में अच्छी तरह सड़ कर पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाता है। जिसका लाभ खरीफ में धान तथा बाद में रबी के अन्य फसलों को प्राप्त होता है। अतः किसानों द्वारा हरी फसल को मिट्टी में दबाना एवं उसपर सिंचाई करना आवश्यक है, तभी इसका सही लाभ मिल पायेगा।

नोट– वास्तविक बीज वितरण की तिथि की जानकारी के लिए चयनित किसान भाई/बहन अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

News Paper Ads Size : 25x16